

नया रायपुर, दिनांक 23 मार्च 2018

क्रमांक एफ-10-15/2018/वाक/पांच (27). - भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10-15/2018/वाक/पांच (27), दिनांक 23-03-2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए.पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

Naya Raipur, the 23rd March 2018

NOTIFICATION
 No. 10/2018 – State Tax (Rate)

No. F-10-15/2018/CT/V (27). – In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 11 of the Chhattisgarh Goods and Services Tax Act, 2017 (7 of 2017), the State Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendment in the notification of the State Government, in the Commercial Tax Department, No. 8/2017-State Tax (Rate) notification No. F-10-43/2017/CT/V(76), dated the 28th June, 2017 published in the Gazette (Extraordinary) of Chhattisgarh, No. 252, dated the 29th June, 2017, and amended vide notification No.38/2017- State Tax (Rate) No. F-10-81/2017/CT/V (141), dated the 13th October, 2017, published in the Gazette (Extraordinary) of Chhattisgarh, No. 454, dated the 25th October, 2017, namely :-

In the said notification, for the figures, letters and words “31st day of March, 2018”, the figures, letters and words “30th day of June, 2018” shall be substituted.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
 A. P. TRIPATHI, Special Secretary.

नया रायपुर, दिनांक 23 मार्च 2018

अधिसूचना

सं. 14/2018-राज्य कर

क्रमांक एफ-10-15/2017/वाक/पांच (28). - राज्य सरकार, छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 7) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर नियम, 2017 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (तीसरा संशोधन) नियम, 2018 है।
- (2) इन नियमों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, ये नियम इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर नियम, 2017 में,--
 - (i) नियम 45 के उपनियम (1) में, अंत में आने वाले “जहां ऐसा माल किसी छुटपुट कार्य करने वाले कर्मकार को सीधे भेजा जाता है” शब्दों के पश्चात, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-